



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241964
CG-DL-E-14012023-241964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 254(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2284(अ) दिनांक 18 मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में NH12 (नया-45) भोपाल से जबलपुर मार्ग के कि.मी. 299/710 से कि.मी. 301.200 तक के भू-खण्ड (भोपाल से गोहारगंज) तक के भूखण्ड पर (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01-06-2022" को "पत्रिका" और "राज एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और एक भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में NH12 (नया-45) भोपाल से जबलपुर मार्ग के कि.मी. 299/710 से कि.मी. 301.200 तक के भू-खण्ड (भोपाल से गोहारगंज) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश					
जिले का नाम: भोपाल					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हुज़ूर				
	गांव का नाम: भैरोपुर				
1	228	निजी	व्यपवर्तित	0.003	श्रीमति मालती देवी पत्नी जगदीस प्रसाद शर्मा (228)
2	294/1	निजी	कृषि	0.013	नेहा नारोन्हा पुत्री अशोक नारोन्हा, आनंद दुबे पुत्र एमपी दुबे, वरुण दुबे पुत्र आनंद दुबे (294/1)
3	295/1, 295/2	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.015	पुनीत गोंधा पुत्र एंस् सी गोंधा, श्रीमति संगीता गोंधा पत्नी विनीत गोंधा (295/1, 295/2)
4	296/1	निजी	कृषि	0.005	सुनीता सोगानी पत्नी अरविन्द सोगानी (296/1)
5	298/1	निजी	व्यपवर्तित	0.006	श्रीमति मालती देवी पत्नी जगदीस प्रसाद शर्मा (298/1)
6	302/1/2, 302/2	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.016	प्रेम नारायण पिता कमल सिंह (302/1/2)
7	302/1/2, 302/2	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.006	एम्/एस् प्राज्ञ सजलधारा पार्टनर प्रभात चतुर्वेदी पुत्र आर् एन् चतुर्वेदी (302/2)
8	303	निजी	व्यपवर्तित	0.015	एम्/एस् प्राज्ञ सजलधारा पार्टनर प्रभात चतुर्वेदी पुत्र आर् एन् चतुर्वेदी (303)

9	304/1/2/1, 304/1/2/2, 304/2/1	निजी	व्यपवर्तित, कृषि	0.019	ज्ञान सिंह पिता घासीलाल (304/1/2/1)
10	305	निजी	कृषि	0.023	वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, पुत्र निर्भय सिंह वैजंतीबाई विधवा निर्भय सिंह, निशा पुत्री निर्भय सिंह (305)
11	306/1	निजी	व्यपवर्तित	0.012	श्रीमति रूपकुमारी पत्नी रमेश कुमार रिछारिया (306/1)
12	307/1, 307/2/1	निजी	कृषि	0.034	प्रखर श्रोत्री नबालिग पुत्र रामेश्वर प्रसाद श्रोत्री सरपस्त माता श्रीमति रानी श्रोत्री (307/1, 307/2/1)
13	308/1	निजी	व्यपवर्तित	0.035	अजय विद्योतीया पिटा ओ पी विद्योतीया (308/1)
14	446/2	निजी	कृषि	0.013	अजीत कुकरेजा पुत्र श्री झमटसिंह कुकरेजा (446/2)
			कुल	0.215	

[फा. सं. NHA/11013/0 I-S/LA/2009/Notif/MP/Bhopal/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 254(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O. 2284(E), dated 18 May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH12 (New - 45) Bhopal to Jabalpur in the stretch of land from Km. 299/710 to Km. 301.200 Bhopal to Goharganj Section in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Patrika” and “Raj Express” both dated 01-06-2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no any one objections have been received to the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH12 in the stretch of land from NH12 (New-45) Bhopal to Jabalpur in the stretch of land from Km. 299/710 to Km. 301.200 Bhopal to Goharganj Section in the district of BHOPAL in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: BHOPAL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Huzur				
	Village: Bhaironpur				
1	228	Private	Diverted	0.003	shrimati malti devi patni jagdees prasad sharma 228
2	294/1	Private	agriculture	0.013	Neha naronha putri ashok naronha, anand dubey putra mp dubey, varun dudey putra anand dubey 294/1
3	295/1, 295/2	Private	Diverted, Agriculture	0.015	punit gondha putra s c gondha, shrimati sangeeta gondha patni vinit gondha 295/1, 295/2
4	296/1	Private	agriculture	0.005	sunita sogani patni arvind sogani 296/1
5	298/1	Private	Diverted	0.006	shrimati malti devi patni jagdees prasad sharma 298/1
6	302/1/2, 302/2	Private	Diverted, Agriculture	0.016	prem narayan pita kamal singh 302/1/2
7	302/1/2, 302/2	Private	Diverted, Agriculture	0.006	m/s pragya sajaldhara partners prabhat chaturvedi putra R N chaturvedi 302/2
8	303	Private	Diverted	0.015	m/s pragya sajaldhara partners prabhat chaturvedi putra R N chaturvedi 303
9	304/1/2/1, 304/1/2/2, 304/2/1	Private	Diverted, Agriculture	0.019	gyan singh pita ghasilal 304/1/2/1
10	305	Private	agriculture	0.023	virendra singh, surendra singh, putra nirbhay singh vajantibai vidhwa nirbhay singh, nisha putri nirbhay singh 305
11	306/1	Private	Diverted	0.012	shrimati roopkumari patni ramesh kumar richhariya 306/1
12	307/1, 307/2/1	Private	agriculture	0.034	prakhar shrotri nabalig putra rameshwar

					prasad shrotri sarpast mata shrimati rani shrotri 307/1, 307/2/1
13	308/1	Private	Diverted	0.035	ajay vidyotiya pita o p vidyotiya 308/1
14	446/2	Private	agriculture	0.013	ajeet kukreja putra shri jhamatsingh kukreja 446/2
			TOTAL	0.215	

[F. No. NHAI/11013/0 I-S/LA/2009/Notif/MP/Bhopal/3D]

RAJESH GUPTA, Director